न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:– 78/2014 (RCMS No.2014/00054) (90 बी भू–रूपान्तरण)

1. पांच्या (मृतक)

1/1 लखमी पुत्र पांच्या
1/2 भूरसिंह पुत्र पांच्या
1/3 देवकी पुत्री पांच्या
1/4 लखनबाई पुत्री पांच्या
} जातियान जाटव निवासीयान सालौडा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर (राज0)

..........अपीलान्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी एस0डी0ओ0 गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर ।
2. नगर पालिका गंगापुरसिटी जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।
3. तहसीलदार तहसील गंगापुरसिटी।

4. सत्यप्रकाश पुत्र जगन
5. भंवर पुत्र जगन
6. सोनू पुत्र जगन
7. प्रेम वेवा जगन
} जातियान जाटव निवासीयान सालौडा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

8. सीता पुत्री जगन पत्नि सुबुद्धि जाति जाटव निवासी खण्डीप तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।
9. मंजू पुत्री जगन पत्नी नवल जाति जाट निवासी खण्डीप तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।
10. पूजा पुत्री जगन जाति जाटव निवासी सालोडा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

11. अमरसिंह
12. मनोज
} पिसरान हरिचरण जाति जाटव निवासी सालौडा तहसील गंगापुरसिटी

13. कुमरसिंह पुत्र जगन जाति जाटव निवासी सालौडा तहसील गंगापुरसिटी।
14. मछला पत्नी हरिचरन जाति जाटव निवासी सालौडा तहसील गंगापुरसिटी।
15. सेडू पुत्र गंगाधन जाति जाटव निवासी सालौडा तहसील गंगापुरसिटी।
16. कन्हैया पुत्र गंगाधर जाति जाटव निवासी सालौडा तहसील गंगापुरसिटी ।
17. सन्तो पुत्री गंगाधर पत्नी रामभजन जाति जाटव निवासी खण्डीप तहसील गंगापुरसिटी।
18. पैमा पुत्री भरोसी जाति जाटव निवासी सालौडा तहसील गंगापुरसिटी ।
19. मोहन (मृतक लावल्द विला औरत फौत)

..............रैस्पोडेन्टस

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील विरूद्ध अंतर्गत धारा 90 बी (7) विरूद्ध आदेश दिनांक 5.4.2003 प्राधिकृत अधिकारी (एस0डी0ओ0) गंगापुरसिटी पत्रावली संख्या 87/2002 उनवानी लैण्ड हौल्डर (तहसीलदार) गंगापुरसिटी बनाम गंगाधर आदि।

उपस्थितिः—

1. श्री मोहनसिंह राना वकील अपीलान्ट।

<u>नि र्ण य</u>

<u>दिनांकः— 18.12.2023</u>

उक्त अपील प्राधिकृत अधिकारी (उपजिला कलक्टर) गंगापुर सिटी द्वारा जारी किये गये संपरिवर्तन आदेश वसिलसिले मु0सं0 87 उनवान तहसीलदार गंगापुरसिटी बनाम गंगाधर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 5.4.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि भूमिधारी तहसीलदार गंगापुरसिटी के द्वारा दिनांक 5.10.2002 को उप जिला कलक्टर (प्राधिकृत अधिकारी) गंगापुर सिटी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया गया कि गैर सायल अर्थात गंगाधर, कुन्दन पि0 मंगल हिस्सा 2/3 हिस्सा बरावर व भरोसी पुत्र ज्वाली हिस्सा 1/3 जाति चमार निवासी सालौदा तहसील गंगापुरसिटी द्वारा नगर पालिका गंगापुर सिटी के क्षेत्रान्तर्गत स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49/0.27, 50/0.33, 51/0.46, 52/0.10, 53/0.03, 54/0.06, 55/0.41 रकबा 1.66 वाकै ग्राम सालौदा तहसील गंगापुर सिटी जो कि कृषि भूमि है, के अप्रार्थीगण खातेदार हैं। जिनके द्वारा कृषि योग्य समस्त रकबे 1.6 है0 भू—भाग का अकृषि में बगैर इजाजत के अकृषि प्रयोजन के लिए उपभोग व उपयोग किया है। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण गंगाधर, कुन्दन, भरोसी वगैरह को वेदखल किया जाकर वर्णित भूमि पुनःग्रहण कर राज्य सरकार में समाहित की जावे। अपने कथनों की ताईद में तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रैस इत्यादि पेश किये गये। प्राधिकृत अधिकारी उपजिला कलक्टर गंगापुरसिटी द्वारा तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2003 पारित कर आदेश दिये कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख)(5) के अंतर्गत उक्त आराजी खसरा नम्बर 49/0.27, 50/0.33, 51/0.46, 52/0.10, 53/0.03, 54/0.06, 55/0.41 रकबा 1.66 वाकै ग्राम सालौदा जो नगर पालिका गंगापुर सिटी की सीमा के अंतर्गत स्थित हैए पर से गैरसायलान गंगाधर, कुन्दर, भरोसी के अधिकारों एवं हितों का पर्यावसान करते हुये भूमि पुनर्गृहण की जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 90 ख (6) के अधीन पुनर्गृहित की गई भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप से राज्यहित में निहित होगी तथा इस अधिनियम की धारा 102(क) के अधीन नगर पालिका गंगापुरसिटी के अधीन रखी हुई समझी जाएगी। तहसीलदार गंगापुरसिटी को पुनर्गृहित भूमि का नामान्तरकरण राज्य हित में खोलकर पालना से पांच योम में अवगत कराने हेतु निर्देश जारी किये गये। प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्डाधिकारी) गंगापुरसिटी के उक्त आदेश दिनांक 05.04.2003 के खिलाफ अपीलान्टस की ओर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

से यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत कार्यालय की अपीलाधीन आदेश से संबधित मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री हनुमान गोयल एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष रैस्पोडेन्टस की विधिवत तामील होने के बाबजूद कोई भी उपस्थित नहीं हुए। रैस्पोडेन्ट संख्या 19 के लावल्द विला औरत फौत होने के कारण उसके नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 13.09.2021 को दिये गये। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोडेन्टस की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2003 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 49/0.27, 50/0.33, 51/0.46, 52/0.10, 53/0.03, 54/0.06, 55/0.41 वाके ग्राम सालौदा तहसील गंगापुरसिटी का खातेदार काश्तकार गंगाधर, कुन्दन व जबाली 1/3, 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे इस आराजीयात के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार गंगापुरसिटी को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिये लाने के कारण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के अंतर्गत पुनर्गृहण की कार्यवाही करने के संबध में आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत प्राधिकृत अधिकारी उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में अवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज रजिस्टर करते हुये अपीलान्ट खातेदारान को नोटिस जारी किया गया। तामील कुनिन्दा द्वारा खातेदारान के मौजूद न मिलने के कारण नोटिस की प्रति उनके खुले मकान पर चस्पा किये जाने की रिपोर्ट पेश की गई। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसे अपीलान्ट की तामील मानकर इकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश देते हुये आदेश दिनांक 05.04.2003 के द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात को एल.आर.एक्ट की धारा 90बी (5) के प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्गृहण किये जाने का आदेश दिया है, जो कि मौका रिकार्ड के विपरीत है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलान्टस की विधिवत तामील नहीं कराई गई। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली में लगे नोटिसज के अवलोकन से हो रही है। इसके अलावा विवादित भूमि के खातेदारान में से गंगाधर का निधन दिनांक 22.05.1997 को, भरोसी पुत्र जवाली का निधन 26.7.1997 को व मंगल का निधन भी काफी समय पूर्व हो चुका था। इसके बाबजूद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मृत व्यक्तियों की विधिवत तामील मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2003 को पारित किया गया। जबकि विवादित भूमि के खातेदार गंगाधर, भरोसी व मंगल का निधन उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ही हो चुका था। मृत व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी तरह का पारित आदेश नलटी लिए होने के कारण अवैद्य है। इस तर्क के

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा 2021 (2) आर.आर.टी. पेज 1026, 2022–2023 (SUPP) आर.आर.टी. पेज 225, 2017 आर.बी.जे. पेज 386 (SC) डी.बी. पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। अपीलान्ट की ओर से मृतक गंगाधर, मृतक कुन्दन व मृत जबाली के वारिसान को पक्षकार बनाते हुये उक्त अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रकरण की कोई विधिवत जांच अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है जिसके कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध जारी किया गया है जो अपने आप में नलटी आदेश है और कानून की नजर में शून्य होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा पुनर्गृहण की हुई आराजी पर कोई अकृषि कार्य नहीं हुआ था और अकृषि कार्य के प्रयोग के लिये किये जाने के संबध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। वरन् पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फौरी रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि न तो स्पीकिंग है और न ही तथ्यों पर आधारित है। इसलिए अपीलाधीन आदेश त्रुटीपूर्ण होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि पुनर्गृहण की हुई आराजी अपीलान्ट के बाबा मंगला की आराजी है जो कि मंगला के निधन के पश्चात मंगला के पुत्रगण गंगाधर, कुन्दन व जवाली को विरासतन प्राप्त हुई है तथा गंगाधर, कुन्दन व जवाली की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 19 को नोशेयर के रूप में वहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व बिना सुनवाई का मौका दिये प्राधिकृत अधिकारी ने पारित किया है। जिसके कारण अपीलान्ट प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है। इस तर्क के समर्थन में आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 184, 2022 (2) आर.आर.टी. पेज 1039 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। इसी प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस जो कि मृतक खातेदारों के विधिक वारिसान हैं, को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो कि उक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का मौका दिये बिना पारित किया गया आदेश अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए माना गया है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2022 (1) आर.आर.टी. पेज 693, 2020 आर.आर.डी. पेज 67, 1990 आर.आर.डी. पेज 384 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसके अलावा प्रभावित पक्षकार को सुने बिना पारित किये गये आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 215 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि अपीलाधीन निर्णय अपीलान्टस को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना पारित किया गया

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 04.05.2014 को उस समय हुई। जब अपीलान्ट के भाई मृतक भरोसी के पुत्रगण जो अपील में रैस्पेडेन्ट संख्या 18 व 19 है ने मौके पर अपीलान्ट को धमकी दी कि अपीलान्ट का विवादित आराजीयात का किसी जुज से कोई संबध नहीं है क्यों कि यह खेत हमारा है। तब अपीलान्ट ने तहसील में हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और नकल देने के लिये कहा तो हल्का पटवारी ने कहा कि यह आराजी .90 बी के अंतर्गत सिवायचक हो गई है। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 05.05.2014 को प्राधिकृत अधिकारी गंगापुरसिटी के यहां नकलें लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 09.05.2014 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की वास्तविक जानकारी हुई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। इसके अलावा भी अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किये जाने के कारण नलीटी आदेश होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील पेश की जा सकती है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि मियाद संबंधी बिन्दु के संबंध में AIR 1987 पेज 1353 व 2018 आर.बी.जे. पेज 372 पर उद्धरित निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु पर अपीलीय न्यायालय को उदार रूख रखना चाहिए। अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2003 निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि अपीलान्टस की खातेदारी में पुनः दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली एवं बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2003 के विरूद्ध अपीलान्टस की ओर से दिनांक 13.06.2013 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.05.2014 को रैस्पोडेन्ट संख्या 18 व 19 के माध्यम से होने का उल्लेख किया गया है। जिसके समर्थन में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन निर्णय की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। इसके अलावा वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीर AIR 1987 SC पेज 1353 व 2018 आर.बी.जे. (25) पेज 372–373 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दुओं पर उदार रूख रखना चाहिए तथा धारा 5 के प्रावधान को किसी भी पक्षकार को दण्डित किये जाने के लिए प्रयोग नहीं लिया जाना चाहिए। अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत विवादित भूमि के संबंध में मुद्रित प्रारूप में इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि कृषि भूमि को खातेदारान द्वारा अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है एवं लिये जाने की पूर्ण संभावना है। उक्त कृषि भूमि नगर पालिका परिसीमा में आती है। इसलिए उक्त कृषि भूमि को भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत पुनःग्रहण की कार्यवाही की जावे। इस रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा उपजिला कलक्टर (प्राधिकृत अधिकारी) गंगापुर सिटी के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 90 बी के तहत पूर्व मुद्रित प्रारूप में खाली स्थानों की पूर्ति कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें विवादित भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पुनःग्रहण का राज्य सरकार को दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विवादित भूमि के खातेदार गंगाधर कुन्दन पुत्र मंगल व भरोसी पुत्र जवाली को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख)2 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसमें नियत दिनांक 29.10.2002 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिसिज पर तामील कुन्निदा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि भरोसी, गंगाधर, कुन्दन के घर पर मौजूद नहीं मिलने के कारण खुले मकानों पर चस्पा की गई। इस तामील को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत तामील मानते हुए खातेदारान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्राधिकृत अधिकारी की ओर से खातेदार गंगाधर व कुन्दन को अलग–अलग नोटिस जारी नहीं कर एक ही नोटिस जारी किया गया है, जो कि विधि अनुसार नहीं था, क्योंकि प्रत्येक खातेदार को अलग–अलग नोटिस दिया जाना आवश्यक है। प्राधिकृत अधिकारी की ओर से खातेदारान को विधिवत तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए पूर्व मुद्रित प्रारूप में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2003 को पारित किया है। जिसमें पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को आधार मानकर विवादित भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया हुआ माना

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाकर विवादित भूमि के नगर पालिका गंगापुर सिटी की सीमा में होने के कारण गैर सायलान के अधिकारों एवं हितों का पर्यावसान करते हुए भूमि पुनगृहित किये जाने के आदेश देते हुए। उक्त अधिनियम की धारा 90 ख(6)के अधीन पुनगृहित की गई भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप से राज्य हित में निहित होने व अधिनियम की धारा 102 क के अधीन नगर पालिका गंगापुर सिटी के अधीन रखी हुई समझी जाने का आदेश पारित किया गया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा न तो विवादित भूमि के खातेदारान को विधिवत नोटिस ही जारी किया और न ही सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर ही दिया। वकील अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार गंगाधर पुत्र मंगला की मृत्यु दिनांक 22.05.1997 को, भरोसी की मृत्यु 26.07.97 को हो चुकी थी। जबकि तामील कुन्निदा की ओर से उक्त खातेदारान के घर पर नहीं मिलने के कारण खुले मकान पर नोटिस चस्पा किये जाने की रिपोर्ट की गई है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2021 (2) आर.आर.टी. पेज 1026, 2022–23 SUP आर.आर.टी. पेज 225, 2017 आर.बी.जे. पेज 386 SC पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश नलीटी आदेश है व शून्य प्रभाव लिए हुए है। चूंकि उक्त प्रकरण में भी मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2003 को उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2021 (1) आर.आर.टी पेज 184, 2022 (2) आर.आर.टी. पेज 1039 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया आदेश अवैध माने जाने, प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये जाने के संबंध में बहस में संदर्भित नजीर 2022 (1) आर.आर.टी. पेज 693, आर.आर.डी. 2020 पेज 67, आर.आर.डी. 1990 पेज 384 पर उद्धरित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार प्रभावित पक्षकार को सुने बिना पारित किया गया आदेश कभी भी निरस्त किये जा सकने के संबंध में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 1994 पेज 215 पर उद्धरित निर्णय के अनुसार भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता है।

अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि गैर सायलान को जारी नोटिस का स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक प्रजाजन, दैनिक बजरिया की भोर एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशन कराया गया, परन्तु अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में न तो आपत्ति नोटिस जारी किये जाने का कोई रिकार्ड है और न ही नोटिस का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में करवाये जाने के संबंध में भिजवाये गये नाटिस की प्रति ही संलग्न है। इसके अलावा जिन समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन करवाया गया है। उन समाचार पत्रों की प्रति भी अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से केवल मात्र पटवारी हल्का एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

पूर्व मुद्रित प्रारूप में खाली स्थानों की पूर्ति कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश पारित करने से पूर्व न तो यह रिपोर्ट प्राप्त की गई कि विवादित खसरा नंबर में से किन–किन खसरा नम्बरान को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ खातेदारों द्वारा उपयोग में लिया गया है या लिया जाएगा या लिए जाने की संभावना है। केवल मात्र नगर पालिका परिसीमा में आने के आधार पर ही किसी खातेदार की भूमि को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनगृहीत किये जाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2003 खातेदारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना पूर्ण किये बिना, मृत खातेदारों के वारिसान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना तथा अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने के संबंध में समुचित रिपोर्ट/दस्तावेज प्राप्त किये बिना पारित किया गया है, जो कि वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2003 निरस्त किया जाता है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख) के तहत नगरीय क्षेत्रों में कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर आयुक्त, नगर परिषद को बनाये जाने के कारण उक्त प्रकरण आयुक्त, नगर परिषद गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, विवादित भूमि के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लिए जाने के संबंध में पटवारी हल्का व तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर